(128)

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	WLIOI/R/2019/80018	**Date of Receipt :**	14/06/2019
Transferred From :	Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 14/06/2019 With Reference Number : MOENF/R/2019/00411		
Remarks :	**Information sought primarily pertains to Wildlife Institute of India, Dehradun. RTI may be transferred accordingly.**		
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	**Language of Request :**	English
Name :	Balbir Singh Chauhan	**Gender :**	Male
Address :	Lane No. 1, H.no. 1, Mahima Enclave Kehri Gaon, P.O Chandanwadi, Permnagar , Dehradun Uttrakhand		
State :	Details not provided	**Country :**	Details not provided
Phone No. :	Details not provided	**Mobile No. :**	Details not provided
Email :	Details not provided		
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	**Education Status :**	Details not provided
Letter No. :	Details not provided	**Letter Date :**	22/05/2019
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Postal Order
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	
Information Sought :	Please find the attached scan file		
Original RTI Text :	Please find the attached scan file		

Print Save Close

Online transferred from MoEFCC

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 13 Qtr. I Year 2019-20
Fee — Inward Date 17/06/2019

PS

Speed Post

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के लिए नुरोध–पत्र।</u>

सेवामें,

माननीय चंद्र किशोर मिश्र
सचिव महोदय (CPIO), भारत सरकार
पर्यावरण वन, और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली–110003

<u>विषयः– निम्न लिखित बिंदुओं के संबंध में सूचना के संदर्भ में मंत्रालय व संस्थान से मांगी जाने के संबंध में सूचना का अनुरोध–पत्र।</u>

1. अनुरोध कर्त्ता का नाम	–	श्री बलबीरसिंह चौहान।
2. पिता का नाम	–	श्री जयसिंह।
3. पता	–	लेन न0–1, मकान न0–1, महिमा एनक्लेव केहरी गॉव, पो0ओ0–चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखंड़।

4. इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण –

1. यह है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय में भारत सरकार **(MOEF & CC)** के अनुसार कुल सचिव **(Registrar)** व उप कुल सचिव **(Deputy Registrar)** के पद पर आसीन कर्मचारियों के लिए मंत्रालय में, शैक्षिक योग्यता व वेतनमानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

2. यह है कि मंत्रालय में, विभिन्न वर्ग के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति भारत सरकार के अनुसार की जाती है जैसे कि वैज्ञानिक वर्ग, निदेशक व कुल सचिव व प्रशासनिक अधिकारी व सभी वर्ग के कर्मचारियों आदि के लिए भारत सरकार के नियमानुसार सेवानिवृति उम्र जो रखी गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

3. यह है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय में भारत सरकार **(MOEF & CC)** के अनुसार, संविदा वर्ग में, नियुक्त किये गये व रखे गये कर्मचारियों के लिए सेवानिवृति आयु, भारत सरकार के अनुसार जारी की गयी व रखी गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

4. यह है कि संस्थान के प्रबंधन ने एक केस माननीय सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, संविदा कर्मचारियों का जोकि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड, के जजमेंट व निर्णय को न स्वीकारते हुए जिसे संविदा कर्मचारियों को जानबूझ कर परेशान करने लिए, इस केस को माननीय सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, नये सिरे से याचिका दायर की गयी है व एक प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड़, के जजों के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए इसे सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, दायर याचिका की व इसकी माननीय, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के सचिव महोदय जी के द्वारा इसकी स्वीकृति की प्रति व इस केस में अभी तक लगे सरकारी खर्चे की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

5. यह है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय में भारत सरकार **(MOEF & CC)** के, अधीन भारतीय वन्यजीव संस्थान, चन्द्रबनी, देहरादून, उत्तराखंड़ में स्थित है जोकि प्रार्थी के सूचना का अधिकार

RT
R. Gopinath
WL

12272/C2
23-5-19

RTI Cell
Application/Appeal No. MOENF/R/2019/411
App. Dated 22/5 Received on 7/6
Fee/Additional Fee R... No. 48F 231900 10/-
Name ... JD R. Gopinath (WL)

अधिनियम 2005 के अनुसार मांगी गयी सूचना देने में, संस्थान के प्रबंधन असमर्थ हैं जिसके कारण प्रार्थी को सीधे–सीधे माननीय मंत्रालय के मुख्यालय से संस्थान से निम्न बिंदुओं पर सूचना भावसं, के प्रबधन से सूचना उपलब्द करवाने में, मद्द करवाने की महति कृपा करें जो निम्न प्रकार से है:–

<u>संस्थान के द्वारा मॉगी जाने वाली सूचना निम्न प्रकार से है:–</u>

SNB

1. यह है कि प्रार्थी ने संस्थान के उपर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड के द्वारा कोर्ट ऑफ कंनटेमप्ट **(Contempt of Court Application No. 780 OF 2018)** के याचिका दायर के लिए आवेदन किया गया है उसके संदर्भ में, कोर्ट से जो आदेश माननीय उच न्यायालय द्वारा संस्थान व प्रबंधन को दिया गया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

2. यह है कि कार्यालय आदेश संख्या–ए/11–15/1994–भावसं (पार्ट) दिनांक 26/09/2016 के क्रम संख्या–5 में कार्यालय द्वारा लिखित में पत्र में कहा गया है कि इसमें उचित कार्यवाही की जायेगी व 3 वर्ष बित जाने पर भी अभी तक, प्रार्थी को इस संबंध में कोई कार्रवाही की जानकारी न दिये जाने पर, संस्थान के प्रबंधन के द्वारा की जाने वाली प्रार्थी के प्रत्यावेदन व Grievance पर कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

3. यह है कि संस्थान के भर्ती व पदोन्नति निर्धारण नियमावली में **Group-II (2)** के लिए 3 वें वेतन आयोग में, रूपये 380–560 के वेतनमान को 4 वें वेतन आयोग में, व 5वें वेतन आयोग में, संस्थान ने जिस वेतनमान में इसे कर्मचारियों को दिया गया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

4. यह है कि वर्तमान में, संस्थान में, विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा कोर्ट केस हुए व किये गये हैं जिसका विवरण प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी का पद व नाम सहित स्पष्ट करवाने की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

5. यह है कि अभी तक, संस्थान में, विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा किये गये, वर्ष 2010 व उससे पूर्व भी कोर्ट केस हुए हैं के ऊपर संस्थान के प्रबंधन के द्वारा सरकारी खर्चे का विवरण सहित उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

6. यह है कि श्री एम0डी0 गुप्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, नैनताल, उत्तराखंड, के केस में, जो खर्चा संस्थान के प्रबंधन द्वारा किया गया है व श्री एम0डी0 गुप्ता को जो माननीय कोर्ट के जजमेंट व निर्णय के आदेशानुसार संस्थान द्वारा भुगतान किया गया है उसका विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें। साथ में उसकी कोर्ट के निर्णय की प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

7. यह है कि संस्थान के प्रबंधन ने एक केस माननीय सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, संविदा कर्मचारियों का जोकि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड, के जजमेंट व निर्णय, को न स्वीकारते हुए जिसे संविदा कर्मचारियों को जानबूझ कर परेशान करने लिए, इस केस को माननीय सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, नये सिरे से याचिका दायर की गयी है व एक प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड, के जजों के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए इसे सुप्रिम कोर्ट, नई दिल्ली में, दायर याचिका की व इसकी माननीय सचिव, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के सचिव महोदय जी के द्वारा इसकी स्वीकृति की प्रति व इस केस में अभी तक लगे सरकारी खर्चे की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

8. यह है कि सभी संस्थानों में बड़ी खुशी के साथ दिपावली पर्व में, निम्न वर्ग के कर्मचारियों को बोनस व लाभांश उपहार के रूप में मिलता है लेकिन इस वर्ष संस्थान के प्रबंधन के द्वारा यह कहते हुए कहा है कि ऑडिट पार्टी ने इस पर न देने के लिए आप्पति (Objection) लगायी गयी है जबकि पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों का इस लाभांश का लाभ लगतार मिलता रहा है बड़े आश्चर्य की बात यह है कि प्राईवेट व नीजि

संस्थानों के द्वारा भी हर वर्ष उपहार के रूप में, दीपावली के त्योहार में, बोनस व लाभांश दिया जाता है लेकिन भारतीय वन्यजीव संस्थान के निम्न वर्ग के सभी कर्मचारियों को वर्ष 2017–2018 बोनस व लाभांश न देते हुए व यह कहते हुए नजरअंदाज किया गया है कि ऑडिट पार्टी ने इसे देने के लिए आप्पति जाहीर की है उसकी जो ऑडिट पार्टी के आप्पति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

9. यह है कि वर्ष 2002 अक्टूबर में, भिन्न–भिन्न पदों पर नई नियुक्तियां हुई व की गयी है उसकी संस्थान के द्वारा माननीय सचिव महेादय जी से इसकी, स्वीकृति जिस Governing Body से व में स्वीकृति ली गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

10. यह है कि जिन पदों पर, वर्ष 2002 अक्टूबर माह में, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून जिन–जिन कर्मचारियों को पॉच–पॉच अग्रिम वेतन वृद्धि **(Five- Five Advance Increment)** व भी नई नियुक्ति होने पर दी गयी है व भारत सरकार के जिस नियमानुसार ये पॉच–पॉच अग्रिम वेतन वृद्धि दी गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

11. यह है कि जिन पदों पर, वर्ष 2002 अक्टूबर माह में, संस्थान के प्रबंधन ने जिन–जिन कर्मचारियों को पॉच–पॉच अग्रिम वेतन बृदि व भारत सरकार के जिस नियमानुसार दिये गयें हैं व इसे माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के सचित महोदय जी से ली गयी स्वीकृति की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

12. यह है कि जिन पदों पर, वर्ष 2002 अक्टूबर माह में, संस्थान के प्रबंधन ने, जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है व जिस वर्ग जाति से की गयी है उसका यह स्पष्ट करें कि यह नियुक्ति जिस–जिस जाति के वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

13. यह है कि संविदा कर्मचारियों व गेट व ठेकेदारी में, रखे जाने वाले व गार्ड के रूप में रखे गये कर्मचारियों की सेवानिवृती की आयु सीमा की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

14. यह है कि संस्थान के ऊपर जितने भी केस माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड व माननीय सुप्रिम कोर्ट में चल रहे हैं के संबंध में प्रबंधन के द्वारा इस पर किये गये सरकारी खजाने से खर्चे का स्पष्ट विवरण माननीय मंत्रालय के, सचिव महोदय जी से निवेदन है कि खर्चे का विवरण मॉगा जॉय व उपलब्द करवाने की महति कृपा करें।

15. आवेदन कर्ता द्वारा जमा शुल्क करने का प्रमाण–पत्र	–	धनराशि रू010/– का भारतीय पोटल आर्डर न0– **48F 231900** दिनांक 22–05–2019 के शुल्क के रूप में संलग्न है।
16. गरीबी रेखा से निचे आय का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)	–	लागू नहीं है।
17. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	–	दिनांक 22–05–2019 को रिपड पोस्ट से प्रेषित है।
18. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	–	बलबीरसिंह चौहान

(श्री बलबीरसिंह चौहान)

लेन न0–1, मकान न0–1, महिमा एनक्लेव
केहरी गॉव, पो0आ0–चंदनवाड़ी, प्रेमनगर,
देहरादून, उत्तराखंड।